

अपर समाहर्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा

खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपीलवाद सं0 01 / 2022

17.8.22


अभिलेख उपस्थापित।

झारखण्ड स्टेट फुड कमीशन, के राज्य खाद्य आयोग वेबसाईट पर आनलाईन शिकायत वाद सं0 09022020005 त्रिलोचन कुमार महतो एवं जुली कुमारी, ग्राम खैरा, पो0— गंगटा कला, अचल पथरगामा का अभ्यावेदन प्राप्त।

उक्त अभ्यावेदन में आवेदकों के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "प्रशिक्षण के क्रम में राँची में उक्त शिकायत वादो को सीखने के लिए प्रयोग के तौर पर डाला था। ये शिकायत वास्तविकता से परे हैं। उपर्युक्त विषयांकित शिकायत में कोई वास्तविकता नहीं है।"

अतः उक्त वाद की कारवाई समाप्त ही जाती हैं।

लेखापित।



अपर समाहर्ता

—सह—

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
गोड्डा।



अपर समाहर्ता

—सह—

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
गोड्डा।